

**Request for Proposal (RFP) Document for Photo Copier
Machine Through e-Bidding Procedure**

NIB Reference No. 10/2017-18

Reference No.: F—18() CAG/Store/Gen/2017-18/ 1848

Dated 23-02-2018

Mode of Bid Submission	Online through e-Procurement/ e-Tendering system at http://eproc.rajasthan.gov.in
Procuring Authority	Commissioner, Agriculture, GoR
Upload of Final Bid Document (Start of Bid)	<ul style="list-style-type: none">• 26-02-2018 at 02.00 PM
Last Date & Time of Submission of Bid	<ul style="list-style-type: none">• 06-03-2018 at 06.00 PM
Date & Time of Opening of Technical Bid	<ul style="list-style-type: none">• 07-03-2018 at 03.00 PM

Bidding Document Fee: Rs. 1000 (Rupees One Thousand only)

Name of the Bidding Company/ Firm:			
Contact Person(Authorised Bid Signatory):			
Correspondence Address:			
Mobile No.		Telephone & Fax Nos.:	
Website & E-Mail:			

Department of Agriculture

Room No. 184, Pant Krishi Bhawan, Jan Path, Jaipur (Rajasthan), 302005

Phone: 0141-2227088

Web: <http://krishi.rajasthan.gov.in>, Email: ddagr.gc@rajasthan.gov.in

Commissioner of Agriculture

Pant Krishi Bhawan Room No.184, Pant Krishi Bhawan, Jaipur

F18 ()/CAg/Store/Gen/Photo Copier/2017-18/

Date

BID DOCUMENT

Photo Copier machine of Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur.

Cost of Work	: Rs. 7.00 Lacs
Mode of Bid Submission Procurement/	: Open competitive Bidding through e-Bidding system at http://eproc.rajasthan.gov.in
Start Date	: 26-02-2018 , 2.00 PM
Last Date of downloading of bid	: 06-03-2018 upto 5 : 00 pm
Last Date of Uploading of bid	: 06-03-2018 upto 06: 00 pm
Last date of submission of bid Fee Bid Security & RISL Fee	: 07-03-2018 upto 11 : 00 am
Opening of Technical bid	: 07-03-2018 at 3 : 00 pm

at

Pant Krishi Bhawan, DOA

Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur (Rajasthan)

Room No. 184

Phone: 0141-2227088

Web: <http://Agriculture.rajasthan.gov.in>, Email: ddagr.qc@rajasthan.gov.in

Cost: Rs. 1000/-

Commissioner of Agriculture

Pant Krishi Bhawan Room No184, Pant Krishi Bhawan, Jaipur

F18 ()/CAg/Store/Gen/Photo Copier/2017-18/

Date

INVITATION FOR BID (IFB) & NOTICE INVITING BID (NIB)

NIB Ref. No.	10/2017-18
Name & Address of the Procuring Entity	<ul style="list-style-type: none"> Name: Commissioner Agriculture, Agriculture Department Address: Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur (Rajasthan)
Name & Address of the OIC (Procurement Cell)	<ul style="list-style-type: none"> Name: Dr. P.K.Singh Designation: Dy. Director Agriculture(Q.C.) Address: Room No 184, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur (Rajasthan) Email: ddagr.qc@rajasthan.gov.in
Subject Matter of Procurement	Providing Photo Six Copier machine of Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur.
Bid Procedure	Single-stage: two part (envelop) national open competitive Bidding procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Bid Evaluation Criteria (Selection Method)	Least Cost Based Selection (LCBS)-L1
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc.	<ul style="list-style-type: none"> Website http://sppp.rajasthan.gov.in http://eproc.rajasthan.gov.in Websites:http://www.agriculture.rajasthan.gov.in Bidding document fee: Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) in Cash/ Demand Draft in favour of "Commissioner Agriculture, Agriculture Department " payable at "Jaipur". RISL Processing Fee: Rs. 500/- (Rupees Five Thousand only) in Demand Draft in favour of Managing Director, RISL" payable at "Jaipur"
Estimated Procurement Value	Rs.7.00. Lacs (Rupees Seven One Lacks only)
Bid Security	<ul style="list-style-type: none"> Amount (INR): 14,000.00 (Rupees fourteen Thousand only) For small scale industry of Rajasthan Bid Security amount will be 0.5% and for sick industry other than the small scale industry amount will be 1 % of the estimated cost of quoted item. Mode of Payment: Banker's Cheque or Demand Draft or Bank guarantee deposit through eGRAS(http://egras.raj.nic.in/) in favour of " Commissioner Agriculture, Agriculture Department " payable at "Jaipur"
Period of Downloading of Bidding Document (Start/ End Date)	from 26-02-2018 From 10:00 AM to 06-03-2018 upto 5:00 pm
Manner, Start/ End Date for the submission of Bids	<ul style="list-style-type: none"> Manner: Online at eProc website (http://eproc.rajasthan.gov.in) Start Date: from 26-02-2018 From 11:00 AM End Date 06-03-2018 upto 5:00 PM
Submission of Bid Fee, Bid Security & RISL Fee.	At R.NO.184,Pant Krishi Bhawan Janpath Jaipur upto 11 : 00 am on dated 07-03-2018
Date/ Time/ Place of Technical Bid Opening	<ul style="list-style-type: none"> Date: 07-03-2018 Time: 3 : 00 pm Place: Pant Krishi Bhawan, Committee Room, First Floor, Jaipur (Raj.)
Date/ Time/ Place of Financial Bid Opening	Will be intimated later to the Technically qualified bidders
Bid Validity	90 days from opening of bid.

Note:

- 1) Bidder (authorised signatory) shall submit their offer online in Electronic formats both for technical and financial proposal. however, Bid Fees, RISL Processing Fees and Bid Security should be submitted physically at the office of Bidding Authority as prescribed in NIB and scanned copy of same should also be uploaded along with the technical Bid/cover.
- 2) * In case, any of the bidders fails to physically submit the Bid Fee, Bid Security and RISL Processing Fee as per the time schedule mentioned above, its Bid shall not be accepted. The Banker's Cheque/ Demand Draft for Bidding document fee and Bid Security should be drawn in favour of "Commissioner Agriculture, Agriculture Department and the RISL Processing Fee in favour of "Managing Director. Raj comp info Services Ltd. "payable at Jaipur" from any Scheduled Commercial Bank.
- 3) To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature certificate (Type III) as per information technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids . Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency. i.e. TCS Safe crypt, Node etc. Bidders who already have a valid Digital Signature certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> (bidders already registered on <http://eproc.rajasthan.gov.in> before 30.03.2011 must register again).
- 4) PKBSSVS will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like show speed. Choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
- 5) Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-bidding process.
- 6) The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
- 7) No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
- 8) Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
- 9) The provisions of RTPP Act 2012 and RTPP Rules 2013 thereto shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with the RTPP Act 2012 and RTPP Rules 2013 thereto, the later shall prevail.

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

तकनीकी बोली प्रपत्र

बोली प्रपत्र शुल्क – 1000 /–

1. 6 नग फोटो कॉपीयर क्य हेतु बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता.....
3. किसको सम्बोधित किया गया – आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4. संदर्भ क्रमांक :
5. बोली प्रपत्र का मूल्य रूपये 1000 /– बोलीदाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक न0..... दिनांक..... आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर के नाम से तथा रु. 500 /– का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक न0..... दिनांक..... Managing Director, RISL, Jaipur के नाम से बोली के साथ संलग्न कर दिया गया है।
6. मैं/हम आयुक्त कृषि राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली सूचना की शर्तों के बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)
7. फोटो कॉपीयर मशीन की आपूर्ति दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।
8. (क) तकनीकी बोली हेतु निम्न दस्तावेजों की स्वः द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ अपलोड कर दी गयी हैं :-
 - (1) तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित।
 - (2) बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./ बैंकर्स चैक जो आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर के नाम से देय हो।
 - (3) RISL की प्रोसेसिंग फीस का डी.डी./ बैंकर्स चैक।
 - (4) पैन् नम्बर की प्रमाणित प्रति एवं अन्य दस्तावेज जो प्रस्तुत करने हो।
 - (5) फोटो कॉपी मशीन के स्पेसिफिकेशन, मॉडल मेक वारंटी/गारंटी अवधि आदि से सम्बन्धित ब्रोशर (Brochure)

बोलीदाता का नाम

डाक का पता

टेलीफोन न0 (दुकान) (घर)

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

**Commissioner of Agriculture
Pant Krishi Bhawan, Room No.184, Jaipur**

F18 ()/CAg/Store/Gen/Photo Copier/2017-18/

Date

Finicial Bid Form

1. Bid for Six Photo Copier machine of Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur, Rajasthan.
2. Name and postal address of the firm submitting the Bid
.....
.....
3. Address to: Commissioner of Agriculture, Agriculture Department, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur. Reference: NIB No. F18 ()/CAg/Store/Gen/2017-18/.....dated....
The Bid fee amounting Rs. 1000 /- has been deposited vide DD /BC No. Dated
4. We agree to abide by all the conditions mentioned in Agreement / Bid Notice published in the news paper Dated issued by the Pant Krishi Bhawan, Jaipur and also the further conditions of the said Bid Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the term mentioned therein).
5. The rates for the supply of following items are as per the H-Schedule enclosed in Annexure-B (BOQ)
6. Dully filled Bid document is enclosed.

Signature of Bidder

Name of Bidder

Firm.....

Address.....

.....

.....

Mobile

No.....

Commissioner of Agriculture, Jaipur

Technical Specification for Photo State Machine

- | | |
|--|--------------------------|
| • Memory (RAM) | 512 MB |
| • Minimum Speed per Minute in A4 Size | 25CPM |
| • Tray Capacity | 250 Number Sheets |
| • Paper Size (Original/Image) | A3/A3 |
| • Document Feeder | DADF |
| • Type | Photo State Machine |
| • Duplexing Feature Availability | Yes |
| • Network feature Availability | Yes |
| • Warranty | Min. 1 Year is Essential |
| • Location of installation may be as per order | Yes |
| • USB to Print | Yes |
| • USB to Scan | Yes |
| • Sky Short Features | Yes |
| • Zoom | 25% to 400% |
| • Linux Support | Yes |

Signature of Bidder

Annexure-B (BOQ)

**Govt of Rajasthan
Commissioner of Agriculture,
Pant Krishi Bhawan, Jaipur**

Financial Bid

Rate proposals for the supply of Photo copiers Machine.

Sr.No	Machine Model No or Make Konica Minolta, Ricoh, Canon	Basic price Per unit	G.S.T	Total Cost per unit
₁	₂	₃	₄	₅
1	Rate for one year Warranty /guarantee			
2	Rate for Two year Warranty /guarantee			

Note:- Bidder Should mention the model no & make of photo copier machine in column No 2.

Signature of Bidder

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 18 ()आ0कृ0/भण्डार/तकनीकी/खु0नि0/2017-18/

दिनांक:

बोली की शर्तें

बोली की शर्तें :-

- 1 यह बोली एनेक्सर "A" में अंकित स्पेशिफिकेशन्स के अनुसार छः नग फोटो कॉपीयर क्य के लिए आमन्त्रित की जा रही है।
- 2 बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. बोली प्रपत्र विभागीय वेब साईट www.agriculture.rajasthan.gov.in या <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000/- बोलीदाता द्वारा प्रथक से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त कृषि राजस्थान जयपुर के नाम से तथा रू0 500/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक Manging Director RISL Jaipur के नाम बोली के साथ संलग्न करना होगा। बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
4. दिनांक 07.03.2018 को तकनीकी बोली अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी।
- 5 आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. विभाग न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार किये जाने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी भी बोलीको आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर को होगा।
8. कुटीर तथा लघु उद्योग इकाईयो के लिए बोली प्रपत्र शुल्क निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत कीमत पर दिया जावेगा।
9. बोली प्रतिभूति राजस्थान के लघु उद्योगो की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा की 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिने मामले औधौगकी एवं वित्त पुनःनिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, वहा बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।
10. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिए वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्य (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम-8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.ले.नि./2007/दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के

अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।

11. बोलीदाता फर्म का गत तीन वित्तीय वर्ष (2014-15, 2015-16 तथा 2016-17) में औसत राशी रु 18.00 /टर्नओवर होना आवश्यक है। इस हेतु बोलीदाता द्वारा सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र एनेक्सर "जी" में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
12. निम्न दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इनके आधार पर ही उपपान समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा :-

(1) निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि।

(2) बोली के साथ बोली प्रपत्र शुल्क रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक।

(3) बोली के साथ RISL का प्रोसिसिंग शुल्क रु0 500/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक।

(4) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।

(5) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।

(6) तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ तथा संबंधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयंद्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।

(7) एनेक्सर B,D,S, H एवं प्रपत्र एस.आर.।। में घोषणा।

(8) फर्म का टर्न ऑवर होने संबंधी प्रमाण पत्र एनेक्सर-G में सनदी लेखाकार से प्रमाणित।

13. तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही बोलीदाता की वित्तीय बोली खोली जावेगी।

14. बोली प्रतिभूति /कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट कि लिये आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु विभाग उन मदों के संबंध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम -8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड आर) विभाग के आदेश क्रमांक : प1(1) वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।

15. सामान/वस्तु की मात्रा अनुमानित है। दर अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित मात्रा से कम/अधिक हो सकती है। क्रय राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसार होनी :-

1. अनुबंध के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजो मूलतः निविर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिणाम में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढोतरी बोली दस्तावेजों में निविर्दिष्ट परिमाण के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबन्धनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

2. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु प्राप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम प्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

3. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो संविदा में दी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमन्त्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार होगी।
16. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
17. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः उक्त बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
18. वास्तविक डीलरों द्वारा बोलीया:- बोलीया मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
19. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में सफल बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
20. संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/ भागीदारों के सफल बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए सफल बोलीदाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेंगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
21. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। जी. एस.टी. पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
22. बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
23. दरों में जी.एस.टी. की राशि पृथक से दिखाना चाहिए।
24. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ. आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। वर्णित दरे कृषि विभाग, राजस्थान के मुख्यालय आपूर्ति हेतु लागू होंगी जिनमें डिजाइनिंग, पैकिंग, प्रेषण, भराव परिवहन बीमा, खाली करना, स्थापित करना तथा सभी तरह के आनुषांगिक व्यय एवं जी.एस.टी. शामिल है।
25. मूल्य अधिमान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र/आदेश के अनुसार यदि देय है तो दिया जाएगा।
26. विधिमान्यता:- बोली में आमंत्रित दरें उनके अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी। दरों को आपसी सहमति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
27. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है।
28. सफल बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
29. विनिर्देश:-
(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु

नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा फ्री आईटम दिया जा रहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

- (2) वारंटी/ गारंटी खण्ड:- बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/ सामान/ वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/ सामान/ वस्तुओं की गुणवत्ता यथा विनिर्दिष्ट विवरण के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/ सामानों/ वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/ या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, उक्त मालों/ सामानों/ वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/ सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/ सामान/ वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

30 रद्द करना:-

यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौति अंतिम होगी।

- 31 रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद उपापन संस्था किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम पर उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।
- 32 बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/ निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
- 33 प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय उपापन संस्था की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 34 बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

35 (I) सुपुर्दगी अवधि:— सफल बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जाए उसके द्वारा प्रदाय आदेश में निर्धारित अवधि के भीतर आदेशानुसार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(II) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, अनुबंध में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत।

(III) यदि उपापन संस्था किन्हीं बोली दस्तावेज में उल्लेखित वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है, बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

36 बोली प्रतिभूति राशि :-

(क) बोली के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आयुक्त कृषि, जयपुर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिए।

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय:— असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटा दिया जाएगा।

(ग) बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट:— उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोलीयें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये बोली के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

(घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई बोलीयो के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नई बोलीयो के लिए बोली प्रतिभूति राशि/ प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोलीयो को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

37 बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण:— बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा:—

(I) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है।

(II) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

- (111) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
- 38 (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:—
- (1) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के साथ निष्पादित कराना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बोलीयो स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।
- (11) बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को सफल बोलीदाता के अनुरोध पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (111) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:—
- (1) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ चालान की रसीद प्रति
- (2) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।
- (3) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत स्कीमो के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/ विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
- (4) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी/ गारंटिया, जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जावेगी।
- (5) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं है, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- (IV) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
- (V) कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण:— कार्य सम्पादान प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।
- (1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

- (2) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।
- (5) कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति मशीनों की गारंटी/वारंटी अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् लौटाई जावगी। गारंटी/वारंटी अवधि में संतोषप्रद सेवा क अभाव में उपापन संस्था द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति में से कटौती की जावेगी।

39 बीमा:- (1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे-युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

40 भुगतान:- फोटो कॉपी मशीनों की संतोषप्रद सीपना एवं मशीनों के संचालन के उपरान्त भुगतान किया जावेगा।

(1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/ प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण-पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(11) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा उपापन संस्था को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(111) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

41(1) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(11) परिसमापित नुकसानी:- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है :- (इस सम्बन्ध में यदि कोई हो तो बोली प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें ही लागू होगी)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2 ½ प्रतिशत
-----	-----	---	-------------

(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5 प्रतिशत
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7 ½ प्रतिशत
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत

- (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
- 42 वसूलियों:- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 43 बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 44 यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
- 45 उपापन संस्था किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/ प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकारी को अपने पास आरक्षित रखेगा।
- 46 बोलीदाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
- (1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
- (1.1) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

- (111) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- 47 यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त कृषि राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। निर्णय से संतुष्ट न होने पर निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर एवं द्वितीय अपील उप शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
- 48 समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।
- 49 कीमते गिरने सम्बन्धी खण्ड:-
यदि दर संविदाधारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान, माल देने के लिये उसकी कीमत से कम कीमत कोट करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
- 50 यदि उपरोक्त शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम- 2013 के विरुद्ध होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम- 2013 लागू होंगे।
- 51 किसी भी प्रकार की स-शर्त बोली को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct and investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the bid; or
- g. bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.....for procurement of in response to their Notice inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurementf Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government of any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our professional conduct or the making of false statements off misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose Technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The first appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:
 - i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the that price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
 - ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
 - iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.
- (ii) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.
- (iii) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

The Annual Turnover of M/sfor the past three years are given below and certified that the statement is true and correct.

S.No.	Years	Turnover in Lakhs (Rs.)
1	2014-15	
2	2015-16	
3	2016-17	

Date

Seal

Signature of Auditor/
Chartered Accountant
(Name in Capital)

घोषणा पत्र
(RTPP Rule-2013 के Rule 29(H) के अन्तर्गत)

मैं/हम..... यह घोषणा करते हैं कि यदि दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान/माल देने के लिये उसकी कीमत कम कोट करता हूँ/ करते हैं तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कम करने या कोट करने की तारीख से कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता

FORM No.1

[See rule 83]

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of

Before the(First/second appellate authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority

who passed the order (enclose copy), or a
 Statement of a decision, action or omission of
 the procuring entity in contravention to the provisions
 of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place

Date.....

Appellant's Signature

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/मै/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल सेलिंग/विपणन एजेंट है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन नं० (निवास)

(कार्यालय)

AGREEMENT

(See Rule 68)

An agreement made this between M/s,, (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrator) of the one part and the Department of Agriculture, Government of Rajasthan, Jaipur. (Hereinafter called "the Government" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

1. Whereas the approved supplier has agreed with the Government to supply of Photo Copier Machine in the Office of the Commissioner Agriculture Rajasthan, Jaipur all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the condition of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth & firms names of the said Annexure A.

2. And whereas the approved supplier has deposited a sum of to Rs.

(i) Cash/Bank Draft/Bankers Cheque No.Dated

3. Now these Presents witness:

a) In Consideration of the payment to be made by the Government thorough at the rates set forth in the schedule her to a appended the approved supplier will duly supply the said article set forth in Annexure A.

b) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice no. dated also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding of the parties executing this agreement.

c) Letter no. dated..... issued by Department of Agriculture and firms reply received vide letter no.datedAppended to this agreement shall also form part of this agreement.

d) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner afore said observe and keep the said terms and conditions, the Government will through pay of cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions.

(b) The mode of payment will be as specified below:

1. After satisfactory supply of material as per rate contract.

2. Payment will be made by banker cheque/DD

3.

4. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order

5. (1) In case extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentage of value of stores which the tenderer has failed to supply :

- | | | |
|-----|--|-----|
| (a) | Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery period. | 2½% |
| (b) | Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period. | 5% |
| (c) | Delay exceeding one fourth but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period. | 7½% |
| (d) | Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period. | 10% |

Note :

- (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplied shall be eliminated if it is less than half a day.
- (ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%
- (iii) If the supplier required and extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages, if the delay in the supply of good is on account of hindrance beyond the control of the tender.

6. All disputes arising out of this agreement and all question relating to the interpretation of the agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

7. All legal proceeding if necessary arise to institute may by any of the parties shall have to be lodged in court situated in Jaipur & not else where.

In witness where of the parties here to have set their hands on the day of2018.

Signature of the representative
of department

Date :

Witnesses 1

Witnesses 2

Signature of the
approved Supplier

Date :

Witnesses 1

Witnesses 2